13,82,000=0

(3)

3666/08

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736653

उत्तर प्रदेश
कोषागार मुरादाबाद
1400
30 MAY 2008

(329)

बयनामा

बयनामा 43,90,000/—रू0

मालियत 1,38,20,000/—रू0

स्टाम्प 13,82,000/—रू0

(29)

5784/01

हम कि गोविन्द नरायन वर्मा पुत्र स्व0 श्री बृज नरायन निवासी सम्मली गेट शहर व जिला मुरादाबाद खुद व

30 MAY 2008

को एक किता

कुल धनराशि 12,000/-

Rajhavision Buildwell Private Limited

किया।

सुनील रोहतिया
व्यवसाय मुरादाबाद

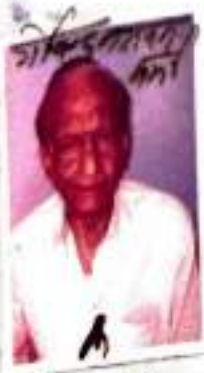

विक्रेता गोविन्द [illegible]

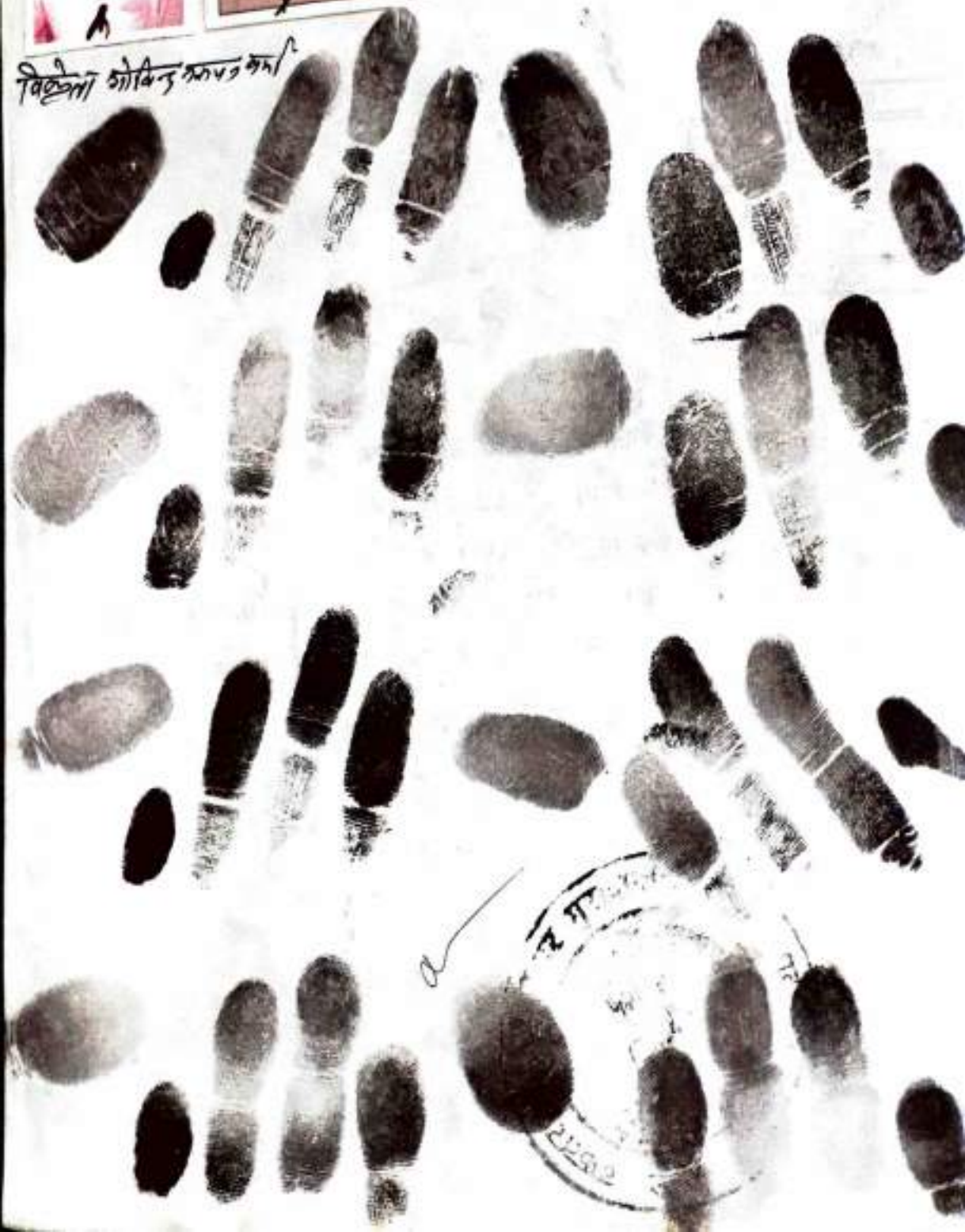

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736654

30 MAY 2008

बहैसियत मुख्तारेआम आदित्य नरायन वर्मा पुत्र स्व0 श्री बृज नरायन निवासी सम्भली गेट शहर व जिला मुरादाबाद मुख्तारनामा आम पंजीकृत दिनांक 12-06-2008 वही सं0 4 जिल्द सं0 199 पृष्ठ सं0 141/148 क्रम सं0 184 कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय मुरादाबाद व दीप नरायन वर्मा व ओंकार नरायन वर्मा पुत्रगण स्व0 श्री बृज नरायन

30 MAY 2008

आज दिनांक ..... को एक किता
स्टाम्प धनराशि 2.00 मुल्य धनराशि 1,38,000
की ..... Prishtvidma Buildwell Private Limited
को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद

रु० 43,90,000
1,38,20,000/-

[illegible] पत्नी श्री [illegible] निवासी [illegible]
तहसील व जिला मुरादाबाद ने यह लेख पत्र
आज दिनांक 17-608 का समय 4 बजे दिन
अपराह्न उप रजिस्ट्रार द्वितीय मुरादाबाद में प्रस्तुत किया।

उप रजिस्ट्रार द्वितीय
17-608

इस लेख-पत्र का निष्पादन करना रुपये 4390000/- तनवीर
हुई स्वीकार करना तथा [illegible]
मैं [illegible] श्री गोविन्द नरायन वर्मा -
रु० सत्रह लाख नरायन Rs 6 lakh गोविन्द नरायन वर्मा -
नरायन वर्मा व श्रीकान्त नरायन वर्मा [illegible]
[illegible] नरायन वर्मा Rs [illegible]
[illegible] रामेश्वर [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736655

30 MAY 2008

निवासीगण सम्भली गेट शहर व जिला मुरादाबाद **प्रथम पक्ष** (विक्रेता) एवम् ब्राईट विजन बिल्डवैल **प्रा० लि० जी–8, विकासदीप** बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट **सेन्टर लक्ष्मी** नगर दिल्ली द्वारा डायरेक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री **शिवशक्ति अग्रवाल द्वितीय पक्ष** (क्रेता), के हैं।

30 MAY 2008

...को एक लिखत
...मुद्रांक शुल्क रु. 1,20,000/-
...Brightridge Buildwell Private Limited
...को संलग्न मुद्रांकाच्या ठिकाणी लिहून दिला.

मुद्रांक दलाल
परवाना क्रमांक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736656

30 MAY 2008

-4-

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी रकबई 1.201 हेक्टे0

मुताल्लिका खाता सं0 68 खसरा सं0 838 रकबई 0.390

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736657

30 MAY 2008

हेक्टे0 व खसरा सं0 839 रकबई 0.350 हेक्टे0 व खसरा सं0 840 रकबई 2.350 हेक्टे0 कुल तीन किते कुल रकबई

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736658

30 MAY 2008

-6-

3.09 हेक्टे0 लगानी सालाना 81.25 रू0 व खाता सं0 73

खसरा सं0 873क रकबई 0.657 हेक्टे0 लगानी सालाना

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736659

उत्तर प्रदेश
कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद
कोषागार 1400

30 MAY 2008

19.75 रू0 जिस पर समस्त विक्रेता मालिक हैं व खाता सं0 214 खसरा सं0 870ड रकबई 0.162 हेक्टे0 व खसरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736660

30 MAY 2008

सं0 872 रकबई 0.050 हेक्टे0 व खसरा सं0 873ख रकबई 1.173 हेक्टे0 व खसरा सं0 874 रकबई 1.240 हेक्टे0 कुल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736661

उत्तर प्रदेश

कोषागार 1400

30 MAY 2008

4 किते कुल रकबई 2.625 हेक्टे0 लगानी सालाना 74.55 रू0 जिस पर विक्रेता दीप नरायन मालिक हैं, स्थित ग्राम

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736662

उत्तर प्रदेश

30 MAY 2008

मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर विक्रेता बहैसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील हैं तथा प्रथम

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736663

पक्ष को इस आराजी की बावत विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा प्रथम पक्ष को अपने भाग को विक्रय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736664

करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नही है। विक्रय की जानी वाली भूमि इस वक्त तक हर किस्म के

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736665

30 MAY 2008

बार, लोन सरकारी, गैर सरकारी, कुर्की, नीलामी वगैरा से कतई बरी व पाक साफ है। गरज यह कि विक्रीत आराजी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736666

उत्तर प्रदेश

M B D

M B D

30 MAY 2008

पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है न ही इस आराजी पर किसी प्रकार का कोई बकाया आदि है तथा न ही अन्य

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736667

30 MAY 2008

व्यक्ति का विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति कोई हक व हिस्सा है। इस सम्पत्ति को हस्तांतरित करने में प्रथम पक्ष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736668

30 MAY 2008

(विक्रेता) पूर्णतया सक्षम है कोई अड़चने इतकाल हाजा नहीं है। चूंकि इस सम्पत्ति की कीमत भी मुनासिब मित

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736669

30 MAY 2008

रही है लिहाजा प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने बहालत दुरूस्ती होश हवास खमसा बिना बहकाये व सिखाये बिना दबाव

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736670

30 MAY 2008

नजायज किसी के खूब सोंच समझकर तमामी शय मुबईया मजकूर हर किस्म व मय हक रास्ता आमदोरफ्त व मय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736671

उत्तर प्रदेश
MBD
मुद्रांक कोषागार 1400
30 MAY 2008

दीगर कुल हक व हकूक मुताल्लिक उनको बिना छोडे किसी जुज व हक बिल ऐवज मुबलिग 43,90,000/–रूपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736672

उत्तर प्रदेश
मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400
कोषागार 1400
30 MAY 2008

(तैंतालीस लाख नब्बे हजार रू0) आधे जिसके मुबलिग

21,95,000/– रूपये (इक्कीस लाख पिच्चानवे हजार रू0)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736673

उत्तर प्रदेश
M S D
मुद्रांक शुल्क अधिकारी मुरादाबाद
मुद्रांक अधिकारी
मुरादाबाद 1400
कोषागार 1400
30 MAY 2008

होते है द्वितीय पक्ष क्रेता (ब्राईट विजन बिल्डवैल प्रा० लि० जी–8, विकासदीप बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट सेन्टर लक्ष्मी नगर दिल्ली द्वारा डायरेक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ~~शिवशक्ति~~ अग्रवाल) को बय और फरोख्त कामिल करके

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736674

30 MAY 2008

कुल जरे समन उसका तफ्सील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमामी शय मुबइया मजकूर वाला का कब्जा व

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736675

30 MAY 2008

दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया है आज के बाद से आराजी मजकूर की बाबत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसान

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736676

30 MAY 2008

प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं बाकी नहीं रहा है और न ही आइन्दा होगा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736677

30 MAY 2008

पूरा हक हासिल होगा कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष

(विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736678

30 MAY 2008

तथा यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय

736679

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 MAY 2008

पक्ष को इस बात से भली भाँति अवगत करा दिया है कि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736680

उत्तर प्रदेश
कोषागार 1400

30 MAY 2008

विक्रय की गई उपरोक्त आराजी को उ० प्र० अधिकतम

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736681

उत्तर प्रदेश
मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
कोषागार 1400
30 MAY 2008

जोत सीमा अरोपण अधिनियम के अंतर्गत सीमाधिक्य

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736682

30 MAY 2008

घोषित कर दिया गया था। तदुपरान्त प्रथम पक्ष ने अपने

736683

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

भाईयों के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में

736684

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश
M B D
मुद्रांक कोषाधिकारी मुरादाबाद
कोषागार 1400
M B D
30 MAY 2008

याचिका दाखिल की थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736685

30 MAY 2008

द्वारा पारित निर्णय में सक्षम प्राधिकारी ग्रामीण सीलिंग

D.N. Varma

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736686

30 MAY 2008

मुरादाबाद के आदेश दिनांक 30–04–1992 ई० तथा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736687

30 MAY 2008

माननीय मण्डलायुक्त महोदय द्वारा उनके न्यायालय में

736688

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 MAY 2008

दाखिल अपील में पारित आदेश दिनांक 12-08-1992 ई0

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736689

30 MAY 2008 को अपास्त कर दिया गया है क्रेता (द्वितीय पक्ष) को उक्त

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

736690

30 MAY 2008

मुकदमें का पूर्ण ज्ञान है तथा इस विक्रय पत्र के निष्पादन

D.N. Verma

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736691

उत्तर प्रदेश
MBD
MBD
कोषागार 1400

30 MAY 2008

व पंजीकरण की दिनांक को उक्त विक्रय की जा रही भूमि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 736692

30 MAY 2008

के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद किसी भी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

382504

31 MAY 2008

न्यायालय में लम्बित नही है परन्तु यदि भविष्य में माननीय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 382505

31 MAY 2008

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18-01-2008 ई0 के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी ग्रामीण

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

382506

31 M.''' 2008

सीलिंग मुरादाबाद या राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुमति

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

382507

31 MAY 2008

याचिका योजित की जाती है तो क्रेतागण उक्त विशेष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 081646

30 MAY 2008

-45-

अनुमति याचिका में पूर्ण रूप से पैरवी करेंगे तथा प्रथम पक्ष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081645

उत्तर प्रदेश
कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400
कोषागार 1400

30 MAY 2008

उन्हे पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। विशेष अनुमति याचिका

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081644

30 MAY 2008

योजित होने की स्थिति में क्रेतागण के अधिकार माननीय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081643

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार होंगे। यदि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081642

30 MAY 2008

-49-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष के विरूद्ध

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081641

उत्तर प्रदेश

30 MAY 2008

निर्णय पारित किया जाता है तदनुसार क्रेतागण को विक्रय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081640

30 MAY 2008

की जा रही आराजी से हटना पड़ता है अथवा उन्हे कोई

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081639

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद 1400

कोषागार 1400

30 MAY 2008

क्षति होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेतागण की

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081638

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400
कोषागार 1400

30 MAY 2008

होगी। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को इस सम्बन्ध में हुये नुकसान की भरपाई करने के पाबन्द नही होंगे। अगर बाद

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081637

30 MAY 2008

को किसी वक्त में उक्त वर्णित सीलिंग के मुकदमें के अतिरिक्त अन्य किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 081636

उत्तर प्रदेश
कोषागार, मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400
कोषागार 1400

30 MAY 2008

कर्जख्वाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081635

उत्तर प्रदेश
मुद्रांक कोषाधिकारी
कोषागार 1400
30 MAY 2008

कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शय मुबईया द्वितीय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 081634

30 MAY 2008

पक्ष (क्रेता) को कुछ सर्फा मजीद खर्चा या अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की वापसी प्रथम पक्ष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081632

30 MAY 2008

सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा।

सीलिंग की कार्यवाही के अतिरिक्त आज तक की तमामी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081631

30 MAY 2008

कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होंगी । अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081630

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400
कोषागार 1400

30 MAY 2008

-61-

वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज करा कर अपना नाम दर्ज करा ले प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज नही होगा पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर **श्री एस0 माथुर एडवोकेट** ने सत्यापित किये हैं।

D.N. Varma

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081629

उत्तर प्रदेश
कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400
कोषागार 1406
M B D
M B D

30 MAY 2008

नोटः–विक्रीत आराजी का मूल्याकंन, मूल्याकंन सूची के परिशिष्ट 1 उपखण्ड "ग" की क्रम सं0 11 के अनुसार खसरा सं0 838, 839 का सर्किल रेट 26,00,000/–रूपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081628

प्रति एकड़ निर्धारित है तथा अन्य खसरा नम्बरान का मूल्यांकन क्रम सं0 13 के अनुसार 8,50,000/–रू0 प्रति एकड़ निर्धारित है। खसरा सं0 838, 839 व 840 का कुल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

081627

उत्तर प्रदेश
MBD
कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी गौतमबुद्ध
मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार 1400
MBD
30 MAY 2008

रकबा 3.09 हेक्टे0 है। जिसमें से क्रेंता को 1.201 हेक्टे0 भूमि विक्रय की गई है। जिसकी कीमत 37,68,000/–रू0 होती है। तदनुसार स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रेता

D.N. Verma G.N. Verma

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 707637

मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400

31 MAY 2008

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। इस विक्रय पत्र के द्वारा 4.483 हेक्टे0 भूमि विक्रय की जा रही है। आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है मौके पर तथा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 707636

मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400

31 MAY 2008

आसपास खेती हो रही है आराजी में कोई पेड़ कूप भवन आदि नही हैं। मुख्तारनामा आम निरस्त नही किया गया है तथा मुख्तारनामा आम कर्ता जीवित है।

D.N. Varma

तफ्सील वसूली जरे समन मुबलिग 43,90,000/– रू0 इस प्रकार कि इस प्रकार कि अंकन 30,25,000/–रू0 बजरिये पे–आर्डर सं0 466938 दिनांक 12–06–2008 ई0 सिंडिकेट बैंक बर्तन बाजार मुरादाबाद व अंकन 3,55,000/–रू0 बजरिये चैक सं0 297931 दिनांक 14–06–2008 ई0 व अंकन 3,55,000/–रू0 बजरिये चैक सं0 297932 दिनांक 14–06–2008 व अंकन 6,55,000/–रू0 बजरिये चैक सं0 297933 दिनांक 14–06–2008 ई0 सिंडिकेट बैंक बर्तन बाजार मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त कर लिये है।

ह0 विक्रेता ह0 विक्रेता ह0 विक्रेता

ह0 क्रेता साक्षी साक्षी

बयनामा हाजा आज दिनांक 16–06–2008 ई0 को बमुकाम मुरादाबाद बइकरार पक्षकारान बमशबरा **श्री एस0 माथुर एडवोकेट** सचिन मिश्रा ने टाईप किया।

1603
21-2-09

सं० रजिस्ट्रार

ग्राम आरावली काश्त भूमिधरी बाबत खसरा संख्या 838, 839, 840, 873क, 874 ए, 872 873, 874, कुल रकबा 4.483 हे० वाक्य ग्राम मनोहरपुर तहसील व जिला मुरादाबाद

इक़रारी :- श्री गोविन्द नारायन वर्मा

मौसूमा :- ब्राइट विजन बिल्डवैल प्रा० लि०

नोट :- विक्रीत भूमि की 200.0 मी० की त्रिज्या में खेती होती है

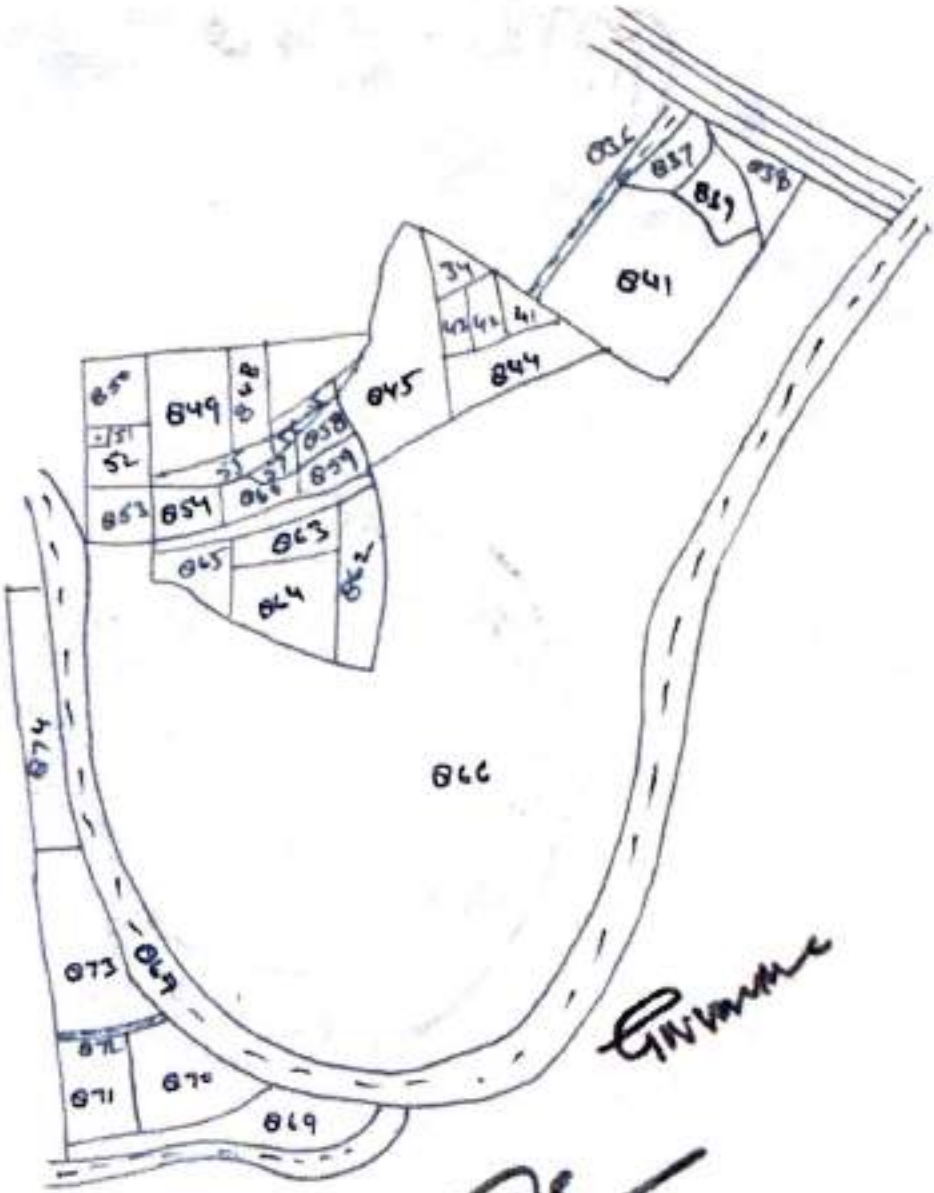

D.N.Varma

D.N.Varma

TRACED